भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 872

07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

दूरस्थ/जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं

872. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देशभर में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार द्वारा दूरस्थ/जनजातीय बहुल क्षेत्रों जैसे कि महाराष्ट्र राज्य के पालघर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, विशेष रूप से देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसेवित और हाशिए पर रह रहे समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता और पहुंच में सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एनएचएम के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत

सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करती है।

भारत सरकार द्वारा एनएचएम के तहत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों विशेष रूप से पालघर निर्वाचन क्षेत्र सहित, दूरदराज/जनजातीय बहुल क्षेत्रों में शुरू की गई विभिन्न पहलों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आशा, 24 x 7 सेवाएं और प्रथम रेफरल सुविधाएं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, नि:शुल्क डायग्नोस्टिक्स सेवा पहल और नि:शुल्क दवा सेवा पहल, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य के तहत विभिन्न क्रियाकलाप, एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यनीति, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए) और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम शामिल हैं।

एनएचएम के तहत जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना और मानव संसाधनों के संदर्भ में आवश्यकता-आधारित क्रियाकलाप का समाधान करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों में छूट दी गई हैं:

i. जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाकेंद्र स्थापित करने के लिए जनसंख्या मानदंड को क्रमशः 5,000, 30,000 और 1,20,000 से 3000, 20,000 और 80,000 तक छूट दी गई है, ताकि जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में उप-स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की स्थापना की जा सके;
ii. सामान्य क्षेत्रों में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक आशाकर्मी के मानदंड के लिए, जनजातीय/पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में प्रति निवास स्थान पर एक आशाकर्मी; और
iii. मैदानी क्षेत्रों में प्रति जिला 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) के मानदंड के लिए, जनजातीय/पहाड़ी/दुर्गम/दूरस्थ और पहुंच में कठिन क्षेत्रों में प्रति जिला 4 एमएमयू।

15 नवंबर, 2023 को शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम -जनमन) के तहत, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) क्षेत्रों को एनएचएम मानदंडों में और छूट प्रदान की गई है:

i. पी.वी.टी.जी. क्षेत्रों वाले प्रत्येक जिले में 10 एम.एम.यू. तक; तथा
ii. बहुउद्देश्यीय केन्द्रों (एम.पी.सी.) पर एक अतिरिक्त ए.एन.एम. की व्यवस्था करना तथा पी.वी.टी.जी. क्षेत्रों में बुनियादी दवाइयां और निदान उपलब्ध कराना।

इसके अतिरिक्त, पीएम-जनमन के तहत, महाराष्ट्र राज्य में 84 एमएमयू कार्यशील हैं, जिनमें से 8 एमएमयू पालघर जिले में दूरदराज और कमजोर आदिवासी क्षेत्रों में आधारभूत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यशील हैं।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत, महाराष्ट्र के पालघर जिले के लिए 1 क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक और 1 एकीकृत जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला को अनुमोदित किया गया है।

*****